रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 2016/चैत्र 22, 1938
No. 262] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2016/ CHAITRA 22, 1938

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 415(अ).— केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 99क और धारा 457 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नाविक बॉयोमेट्रिक पहचान दस्तावेज जारी करने की प्रणाली को विनियमित करने के लिए नाविक पहचान दस्तावेज अभिसमय (पुनरीक्षित),2003 (सं.-185) के अनुसार, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत (नाविक बॉयोमेट्रिक पहचान दस्तावेज) नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना —ये नियम ऐसे भारतीय नागरिकों पर लागू होंगे, जो नियम 5 के अधीन विनिर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं ।

3. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) से है;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से वाणिज्य पोत परिवहन महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ग) "अभिसमय" से वाणिज्य नाविक पहचान दस्तावेज अभिसमय (पुनरीक्षित), 2003 के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दस्तावेज सं.185 से है;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ड) "निर्गमन" प्राधिकारी अभिप्राय हैं; से है; पोत परिवहन मास्टर या ऐसे अन्य अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं, से है;

(च) "एसआईडी" से इन नियमों के अधीन जारी नाविकों के पहचान दस्तावेज अभिप्रेत हैं ;

(2) उन शब्द और पद के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं पर परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित नही हैं के वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है ।